



आ रहा है लोकसभा चुनाव, 2019

यदि आप मतदाता हैं

1. मतदान के लिए मतदाता सूची में **नाम होना** अनिवार्य हैं।
2. **अपना नाम** मतदाता सूची में देखना न भूलें। नाम/विवरण जांचने के लिए
 - I. **1950** पर संपर्क करें
 - II. <ECI>space<EPIC NO> **1950** पर SMS करें
 - III. Online सेवा के लिए **www.nvsp.in** पर जाएं
 - IV. मतदाता सुविधा केंद्र जाएं।
3. यदि आप का नाम एक से अधिक स्थान पर मतदाता सूची में है तो कृपया अन्य स्थानों से अपना नाम **फॉर्म-7** भरकर अवश्य हटवा लें।
4. यदि आपके विवरण में कोई त्रुटि हो तो उसे ठीक कराने के लिए **फॉर्म-8** भरकर आवेदन करें।
5. यदि आप के निवास स्थान में परिवर्तन हुआ हो, तो **फॉर्म-6** (विधान सभा क्षेत्र में परिवर्तन की दशा में) या **फॉर्म-8A**; एक ही विधान सभा क्षेत्र में पोलिंग स्टेशन बदलने की दशा में) भर कर तत्काल आवेदन करें।

सेवा या शिकायत के लिए

1950

मतदाता हेल्पलाइन



मतदाता बनने के लिए

यदि आप 1 जनवरी, 2019 तक 18 वर्ष पूरे कर चुके हैं, तो **मतदाता बनने** से न चूके।

1. **Online: फॉर्म-6** **www.nvsp.in** पर भरें
2. **Offline: फॉर्म-6** भरें और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (**ERO**) या बूथ लेवल अधिकारी (**BLO**) के पास जमा करें।
3. **फॉर्म-6** के साथ निम्न दस्तावेज जमा करें
 - i. पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
 - ii. आयु प्रमाण (आयु 18-21 वर्ष के बीच के लिए) और निवास प्रमाण की प्रतिलिपि

शिकायत के लिए <https://eci-citizenservices.eci.nic.in/> पर जाएं

कोई मतदाता ना छूटे

www.eci.gov.in

भारत निर्वाचन आयोग

डाउनलोड
हेल्पलाइन ऐप

